<u>मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)</u>

पीठासीन अधिकारीः– सुन्दर लाल खारोल, RJS,
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

---

(1) **<u>एम.ए.सी.प्र.सं.:– 30/2022 (101/2017)</u>**

1– मनोज कुमार पुत्र मंगलाराम, निवासी बुगालिया का बास, कुचामन सिटी, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

——याचिकाकर्ता

<u>बनाम</u>

1– राजेन्द्र कुमार पुत्र विष्णु कुमार, निवासी 3406 नीन्दड़ रावजी का रास्ता, चांदपोल, जयपुर, पुलिस थाना कोटवाली, जिला–जयपुर।
(वाहन गाड़ी संख्या आर.जे.–14–सी.एन.–3231 का चालक)

2– पुष्पेन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल, निवासी 1399 नारायण भवन, खेजड़ों का रास्ता, चौथा चौराहा, चांदपोल, जिला–जयपुर।
(वाहन गाड़ी संख्या आर.जे.–14–सी.एन.–3231 का पंजीकृत स्वामी)

3– नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, कार्यालय नया दरवाजा, नागौर।
(वाहन गाड़ी संख्या आर.जे.–14–सी.एन.–3231 की बीमा कंपनी)

——विपक्षीगण

(2) **<u>एम.ए.सी.प्र.सं. 171/2022 (104/2017)</u>**

1– कन्हैयालाल पुत्र छोटूराम, निवासी बुगालिया का बास, कुचामन सिटी(मृतक) के विधिक वारिसान :–
1/1 छोटूराम पुत्र दुलाराम, निवासी बुगालिया का बास, कुचामन, तहसील कुचामन, जिलाः डीडवाना–कुचामन।
1/2 श्रीमती राधादेवी पत्नी छोटूराम, निवासी बुगालिया का बास, कुचामन, तहसील कुचामन, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

——याचिकाकर्ता

<u>बनाम</u>

1– राजेन्द्र कुमार पुत्र विष्णु कुमार, निवासी 3406 नीन्दड़ रावजी का रास्ता, चांदपोल, जयपुर, पुलिस थाना कोटवाली, जिला–जयपुर।
(वाहन गाड़ी संख्या आर.जे.–14–सी.एन.–3231 का चालक)

2– पुष्पेन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल, निवासी 1399 नारायण भवन, खेजड़ो का रास्ता, चौथा चौराह, चांदपोल, जिला–जयपुर।
(वाहन गाड़ी संख्या आर.जे.–14–सी.एन.–3231 का पंजीकृत स्वामी)

3– नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, कार्यालय नया दरवाजा, नागौर।
(वाहन गाड़ी संख्या आर.जे.–14–सी.एन.–3231 की बीमा कंपनी)

——विपक्षीगण

–: उपस्थिति :–

1. याचिकाकर्तागण की ओर से	–	अधिवक्ता, श्री रामनिवास दिवाकर।
2. विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से	–	एकपक्षीय कार्यवाही।
3. विपक्षी सं. 3 की ओर से	–	अधिवक्ता, श्री हर्ष माथुर।

याचिकाएं प्रस्तुत करने की दिनांक	19–07–2017
विपक्षी संख्या–1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक	04–04–2025
विपक्षी संख्या–2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक	20–07–2018
विपक्षी संख्या–3 की ओर से जवाब प्रस्तुत करने की दिनांक	08–11–2019
याचिका संख्या–30/2022 में विवाद्यक विरचित करने की दिनांक	01–08–2025
याचिका संख्या–171/2022 में विवाद्यक विरचित करने की दिनांक	11–02–2026
याचिकाओं को समेकित करने की दिनांक	11–02–2026
साक्ष्य याचिकाकर्ता की दिनांक	27–02–2026
साक्ष्य विपक्षीगण की दिनांक	–
बहस अंतिम की दिनांक	04–04–2026
अधिनिर्णय की दिनांक	08–04–2026

गवाहान सूची

(अ) याचिकाकर्तागण गवाहान्

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
ए.ड.–1	छोटूलाल	याचिकाकर्ता समर्थित गवाह
ए.ड.–2	मनोज	स्वयं याचिकाकर्ता

(ब) विपक्षीगण गवाहान्

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

(स) अधिकरण द्वारा तलब किया गया गवाह

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति

–	–	

दस्तावेजात की सूची

(अ) याचिकाकर्ता के दस्तावेजातः–

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श–1	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श–2	चॉक एफ.आई.आर.
3	प्रदर्श–3	फर्द नक्शा मौका व हालत मौका
4	प्रदर्श–4	आरोप–पत्र
5	प्रदर्श–5	133 एमवी एक्ट का नोटिस
6	प्रदर्श–6	फर्द जब्ती कार
7	प्रदर्श–7	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
8	प्रदर्श–8	कार की आर.सी.
9	प्रदर्श–9	कार का बीमा प्रमाण–पत्र
10	प्रदर्श–10	मिनी बस का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र
11	प्रदर्श–10 लगायत 22 व प्रदर्श 27 से प्रदर्श 109	मनोज व कन्हैयालाल के ईलाज के बिल, डिस्चार्ज टिकिट एवं पर्चीयां
12	प्रदर्श–110	कन्हैयालाल की इंजरी रिपोर्ट
13	प्रदर्श–111	कन्हैयालाल की एक्स–रे रिपोर्ट
14	प्रदर्श–112	मनोज कुमार का चोट प्रतिवेदन

(ब) विपक्षीगण के दस्तावेजात

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
–	–	–

(स) अधिकरण दस्तावेजात

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
–	–	

याचिका अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988

दिनांक :–08–04–2026

–:: अधिनिर्णय ::–

1. हस्तगत दोनों प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी परिपत्र 04/P.I./2024 Dated 15-04-2024 एवं पत्रांकः Gen./XV/55/2024/236 Dated 13.01.2026 की अनुपालना में न्यायालय हाजा के लक्षित प्रकरणों की सूची में शामिल है।

2. याचिकाकर्तागण मनोज कुमार व कन्हैयालाल की ओर से यह दोनों याचिकाएं अन्तर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध पृथक–पृथक प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त दोनों याचिकाएं एक ही दुर्घटना से सम्बन्धित होने के कारण उभय पक्षकारान की प्रार्थना पर उपरोक्त याचिकाओं को दिनांक **11–02–2026** को समेकित किए जाने के कारण उक्त दोनों याचिकाओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा हैं।

3. याचिकाकर्तागण के द्वारा अपनी–अपनी याचिका में समान रूप से यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 05–01–2017 को सांय करीबन 05:30 बजे मनोज व कन्हैयालाल, राजूराम के साथ वाहन मोटरसाईकिल संख्या आर.जे–एस.जे–9765 से कस्बा नावां से कुचामन जा रहे थे। जब वे ग्राम मीठड़ी बाईपास पहुंचे तो राजूराम पेशाब करने के लिए मोटरसाईकिल खड़ी करके चला गया। मोटरसाईकिल के पास कन्हैयालाल व मनोज खड़े थे। तभी सामने एक कार संख्या आरजे–14–सीएन–3231 के चालक ने कार को तेजगति, लापरवाही, गफलत से चलाते हुए कन्हैयालाल व मनोज के टक्कर मार दी। उक्त दुर्घटना के उपरान्त मनोज कुमार व कन्हैयालाल को कुचामन अस्पताल लेकर गए। जहां पर हालात गंभीर होने पर दोनों को एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर में रैफर किया गया। जहॉ पर मनोज कुमार व कन्हैयालाल ने दिनांक 05–01–2017 से 12–01–2017 तक भर्ती रहकर अपना ईलाज करवाया। प्रश्नगत दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 राजेन्द्र कुमार की उपेक्षा व लापरवाही के कारण घटित हुई है।

4. याचिकाकर्तागण ने याचिकाओं में आगे यह वर्णित किया है कि उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण याचिकाकर्तागण पूर्व की भांति कार्य करने में असक्षम हो गए है। प्रश्नगत दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 राजेन्द्र कुमार की गलती व लापरवाही के कारण घटित हुई है। वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 चालक,

विपक्षी संख्या–2 वाहन स्वामी के नियोजन में होकर उसके हितार्थ एवं लाभार्थ कार्य कर रहा था। वक्त दुर्घटना वाहन कार संख्या– आरजे–14–सी.एन. –3231 विपक्षी संख्या–3 के यहां बीमित थी। इसलिए विपक्षीगण से संयुक्त व पृथक–पृथक रूप से याचिकाकार्तागण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।

5. **<u>एम.ए.सी.प्र.सं. 30/2022 (101/2017)</u>** के याचिकाकर्ता मनोज कुमार ने याचिका में आगे यह वर्णित किया है कि वक्त दुर्घटना याचिकाकर्ता 24 वर्षीय स्वस्थ, हृष्ट–पुष्ट व्यक्ति था। वह मजदूरी करके प्रतिमाह 12000/–रूपये की आय प्राप्त करता था। उक्त दुर्घटना में उसके पैर, सिर, जांघ में अदरूनी चोटें व शरीर पर जगह–जगह चोटें कारित हुई है। याचिकाकर्ता के पैर व हाथ की अंगुलियां का ऑपरेशन कर राड़े डाली की गई है। याचिकाकर्ता के पैर व हाथ में स्थाई निर्योग्यता कारित हुई है। याचिकाकर्ता कार्य करने में असक्षम हो गया है। इसलिये याचिकाकर्ता मनोज कुमार ने विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 82,56,000/–रूपये मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दिलाये जाने का निवेदन किया है।
6. **<u>एम.ए.सी.प्र.सं.: 171/2022(104/2017)</u>** के याचिकाकर्ता कन्हैयालाल ने याचिका में यह अभिकथित किया है कि वह वक्त दुर्घटना 19 वर्षीय स्वस्थ, हृष्ट–पुष्ट व्यक्ति था। वह मजदूरी का कार्य करके प्रतिमाह 12000/–रूपये की आय प्राप्त करता था। याचिकाकर्ता को उक्त दुर्घटना में पैर, सिर, जांघ में अन्दरूनी एवं शरीर पर जगह–जगह गंभीर चोटें कारित हुई है। याचिकाकर्ता के पैर का ऑपरेशन कर राड डाली गई है। याचिकाकर्ता के पैर व हाथ में स्थाई निर्योग्यता कारित हुई है। याचिकाकर्ता कार्य करने में असक्षम हो गया है। इसलिये याचिकाकर्ता कन्हैयालाल ने विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 87,76,000/–रूपये मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दिलाये जाने का निवेदन किया है।
7. विपक्षी संख्या–1 व 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश होने से उनकी ओर से याचिका का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. विपक्षी संख्या–3 के द्वारा याचिकाओं का पृथक–पृथक जवाब प्रस्तुत किया जाकर समान रूप से यह अभिकथित किया गया है कि प्रश्नगत दुर्घटना वाहन

संख्या आरजे—14—सीएन—3231 को याचिकाकर्तागण ने गलत रूप से लिप्त किया है। वक्त दुर्घटना वाहन संख्या आरजे—14—सीएन—3231 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेन्स नहीं था। वाहन स्वामी द्वारा बीमित वाहन का चालन वैध एवं प्रभावी लाइसेन्स धारक से नहीं करवाया गया। वक्त दुर्घटना वाहन का पंजीयन प्रमाण—पत्र प्रभावशील नहीं था। उसके बावजूद भी वाहन स्वामी द्वारा आज्ञापक विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए वाहन का चालन करवाया गया। याचिकाकर्तागण द्वारा मोटर व्हीकल अधिनियम, 1990 व मोटरयान अधिनियम के निहित प्रारूप व प्रावधानुसार याचिकाऐं प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः याचिकाएं मय हर्जे—खर्चे के खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

9. यहां यह उल्लेखनीय है कि उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर उपरोक्त दोनों याचिकाओं में अलग—अलग विवाद्यक विरचित किए गए थे। उपरोक्त याचिकाओं के निस्तारण के लिए सुविधा की दृष्टि से अधिकरण द्वारा निम्नानुसार समेकित विवाद्यक विरचित किए जाते है, जो निम्न प्रकार से हैः—

1. **आया दिनांक 05—01—2017 को वाहन कार संख्या आरजे—14—सी.एन.—3231 के चालक विपक्षी संख्या—1 राजेन्द्र कुमार ने वाहन को तेजगति, लापरवाही चलाते हुए दुर्घटना कारित की, जिससे याचिकाकर्तागण मनोज कुमार व कन्हैयालाल के चोटें कारित हुई?**

   ——याचिकाकर्तागण

2. **आया विपक्षी संख्या—1 वक्त दुर्घटना वाहन का संचालन, विपक्षी संख्या—2 वाहन के रजिस्र्टड स्वामी, के नियोजन मे उसके हितार्थ व लाभार्थ कर रहा था। इसी नियोजन काल में यह दुर्घटना कारित हुई है?**

   ——याचिकाकर्तागण

3. **आया विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्तियों एवं विशेष विवरण में अंकित आपत्तियों का क्या प्रभाव है?**

   ——विपक्षीगण

4. **आया याचिकाकर्ता मनोज कुमार विपक्षीगण से क्षतिपूति राशि**

82,,56,000/–रूपये, याचिकाकर्ता कन्हैयालाल विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि 87,76,000/–रूपये मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है?

——याचिकाकर्तागण

5ण अनुतोष?

10. उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में याचिकाकर्तागण की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए.ड.–1 छोटूलाल एवं ए.ड.–2 मनोज कुमार को परीक्षित करवाया गया है। याचिकाकर्तागण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–112 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए है।

11. विपक्षीगण की ओर से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

12. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

13. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्तागण के तर्क रहे है कि प्रश्नगत दुर्घटना वाहन कार संख्या–आरजे–14–सी.एन.–3231 के चालक विपक्षी संख्या–1 की लापरवाही से हुई थी। विपक्षी संख्या–2 वाहन का पंजीकृत स्वामी है, जिसके नियोजन, लाभार्थ एवं हितार्थ विपक्षी संख्या–1 द्वारा कार्य किये जाने के दौरान दुर्घटना घटित हुई है। वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन विपक्षी संख्या–3 बीमा कम्पनी के यहॉ बीमित था, जिससे विपक्षीगण का संयुक्ततः एवं पृथकतः रूप से दायित्व आरोपित दुर्घटना में पूर्णतया प्रमाणित है। याचिकाकर्तागण की ओर से जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उनके खण्डन में विपक्षीगण की किसी भी प्रकार की कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को अस्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्तागण अपनी याचिकाओं में अभिकथित किये गये तथ्यों के अनुरूप विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है और इसी अनुरूप याचिकाकर्तागण की याचिकाएं स्वीकार कर वांछित अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया।

14. विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या–3 बीमा कंपनी ने मौखिक बहस के समर्थन में

लिखित बहस प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि याचिकाकर्तागण द्वारा वाहन संख्या आरजे–14–सीएन–3231 को केवल मात्र क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के आशय से अन्तर्लिप्त किया गया है। दुर्घटना की रिपोर्ट पॉच दिवस के अस्पष्टीकृत विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन के चालक के पास वैध एवं प्रभावी अनुज्ञापत्र नहीं होने के कारण बीमा शर्तों का उल्लंघन होने से विपक्षी संख्या–3 का कोई दायित्व प्रतिकर राशि की अदायगी का नहीं बनता है। याचिकाकर्तागण किसी अन्य अज्ञात वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हुए है। अधिकरण द्वारा भी याचिकाकर्ता कन्हैयालाल की मृत्यु होने के उपरान्त केवल मात्र विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर लिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। मृतक कन्हैयालाल की मृत्यु दुर्घटना दिनांक 05–01–2017 होने के पश्चात् दिनांक 10–09–2020 को हुई है। कन्हैयालाल की मृत्यु प्रश्नगत दुर्घटना से नहीं होकर अन्य बीमारी के कारण हुई है। इसलिए याचिकाकर्तागण की याचिकाएं खारिज करने का निवेदन किया है।

15. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। याचिकाओं में जो समेकित विवाद्यक विरचित किये गये हैं, उन पर इस अधिकरण का निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः–

<u>विवाधक संख्या–1 व 2:</u>

16. अधिकरण द्वारा विवाधक संख्या–1 व 2 निम्न प्रकार से विरचित किये गये है किः–

1. **आया दिनांक 05–01–2017 को वाहन कार संख्या आरजे–14–सी.एन.–3231 के चालक विपक्षी संख्या–1 राजेन्द्र कुमार ने वाहन को तेजगति, लापरवाही चलाते हुए दुर्घटना कारित की, जिससे याचिकाकर्तागण मनोज कुमार व कन्हैयालाल के चोटें कारित हुई?**

2. **आया विपक्षी संख्या–1 वक्त दुर्घटना वाहन का संचालन, विपक्षी संख्या–2 वाहन के रजिस्र्टड स्वामी, के नियोजन मे ंउसके हितार्थ व लाभार्थ कर रहा था। इसी नियोजन काल में यह दुर्घटना कारित हुई है?**

17. उक्त दोनों विवाद्यकों के एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से उक्त दोनों विवाद्यकों

का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक संख्या–1 व 2 को प्रमाणित करने का भार याचिकाकर्तागण पर है। उपरोक्त विवाद्यकों के संबधं में याचिकाकर्तागण की ओर से ए.ड.–1 छोटूलाल एवं ए.ड.–2 मनोज कुमार को परीक्षित करवाया गया है।

18. याचिकाकर्ता की ओर से परीक्षित साक्षी ए.ड.–1 छोटूलाल, जो कि मृतक कन्हैयालाल का पिता है, ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि दिनांक 05–01–2017 को उसका पुत्र कन्हैयालाल व मनोज कुमार समय करीब 05:30 बजे नावां से कुचामन मोटरसाईकिल से आ रहे थे। जब वे मीठड़ी बाईपास के पास पहुंचे तो राजूराम मोटरसाईकिल को खड़ी कर पेशाब करने चला गया। उस दौरान कन्हैयालाल व मनोज कुमार मोटरसाईकिल के पास खड़े थे। तभी सामाने से एक कार संख्या आरजे–14–सीएन–3231 के चालक ने कार को तेजगति, लापरवाही से चलाते हुए लेकर आया एवं साईड में खड़े में कन्हैयालाल व मनोज टक्कर मार दी। मनोज कुमार व कन्हैयालाल को कुचामन अस्तपाल लेकर गए जहां पर प्राथमिक उपचार करने के उपरान्त जयपुर रैफर कर दिया। जहां पर मनोज व कन्हैयालाल का ऑपरेशन किया गया। दिनांक 10–08–2020 को कन्हैयालाल की मृत्यु हो गई। प्रश्नगत दुर्घटना कार चालक राजेन्द्र कुमार की गलती व लापरवाही के कारण हुई थी। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत 22 तथा प्रदर्श–27 से प्रदर्श–111 दस्तावेज प्रदर्शित कराये है।

19. गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि वह वक्त दुर्घटना मौके पर उपस्थित नहीं था। उसने कार के नम्बर नहीं देखे थे। वह अपने पुत्र कन्हैयालाल की मृत्यु का कारण नहीं बता सकता है। गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि कन्हैयालाल की मृत्यु के समय दुर्घटना के सम्बन्ध में ईलाज नहीं चल रहा था। उसने अपने पुत्र कन्हैयालाल का पोस्टमोर्टम नहीं करवाया था। गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि पत्रावली पर वर्ष, 2018 का कोई भी मेडिकल बिल व ईलाज के कागजात नहीं पेश नहीं किए है। गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि प्रदर्श–110 व प्रदर्श–111 मे ंएक ही चोट अंकित की हुई है। इस प्रकार यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। इस कारण इस

गवाह की साक्ष्य उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में प्रकरण पर महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है।

20. याचिकाकर्ता ए.ड.—2 मनोज कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि वह दिनांक 05—01—2017 को समय करीब 05:30 बजे कन्हैयालाल के साथ कस्बा नावां से कुचामन मोटरसाईकिल से आ रहे थे। जब वे मीठड़ी बाईपास के पहुंचे तो मोटरसाईकिल को साईड में खड़ी करके राजूराम पेशाब करने चला गया। वह एवं कन्हैयालाल सड़क के नीचे खडे थे। तभी सामने से एक कार संख्या आरजे—14—सीएन—3231 के चालक ने कार को तेजगति, लापरवाही से चलाते हुए कन्हैयालाल व मनोज के टक्कर मार दी, जिससे उनके चोटें कारित हुई। उन्हें कुचामन अस्पताल लेकर गए जहां पर प्राथमिक उपचार होने के उपरान्त जयपुर रैफर कर दिया। उसका व कन्हैयालाल का ऑपरेशन हुआ था। प्रश्नगत दुर्घटना कार चालक राजेन्द्र कुमार की गलती व लापरवाही के कारण घटित हुई है। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श—112 को प्रदर्शित करवाया है।

21. गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि दुर्घटना दिनांक 05—01—2017 को शाम करीब 05:30 घटित हुई थी। दुर्घटना कारित कार संख्या आरजे—14—सीएन—3231 का रंग सफेद था। उस समय कार चालक कुचामन से जयपुर की तरफ जा रहा था। दुर्घटना मे उसके घुटने में चोट आई थी। दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके काका ने दर्ज करवाई थी। गवाह ने दौराने जिरह कार को गलत रूप से लिप्त करते हुए क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए झूठा प्रकरण दर्ज करवाने के सुझाव से इन्कारी की है।

22. इस प्रकार याचिकाकर्तागण की ओर से परीक्षित साक्षीगण ए.ड.—1 छोटूलाल एवं ए.ड.—2 मनोज कुमार ने स्पष्ट रूप से विपक्षी संख्या—1 वाहन चालक द्वारा कार संख्या आरजे—14—सीएन—3231 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर बाईपास रोड़ मीठडी पर सड़के के किनारे खड़े मनोज कुमार व कन्हैयालाल के टक्कर मारकर गंभीर चोटें कारित करना अभिकथित किया है, जिसका कोई खण्डन विपक्षीगण की ओर से नहीं किया जा सका है। विपक्षीगण की ओर से ऐसी कोई मौखिक एवं दस्तावेजी ऐसी कोई साक्ष्य

प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रश्नगत दुर्घटना में वाहन कार संख्या आरजे–14–सीएन–3231 संलिप्त न हो।

23. याचिकाकर्तागण की उक्त मौखिक साक्ष्य के संदर्भ में यदि दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो याचिकाकर्तागण की ओर से तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श–1 व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–2 को प्रदर्शित करवाया गया है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–1 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–2 संस्थित की गई है, जिसमें दुर्घटना वाहन कार संख्या आरजे–14–सीएन–3231 से होने का तथ्य वर्णित किया गया है। इसी के साथ आरोप–पत्र प्रदर्श–4 के अवलोकन से पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान विपक्षी संख्या–1 राजेन्द्र कुमार के विरूद्ध अपराध धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर सम्बंधित न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किए जाने का तथ्य दर्शित होता है। फर्द जब्ती कार संख्या आरजे–14–सीएन–3231 प्रदर्श–6 के अवलोकन से भी प्रश्नगत वाहन कार को ही दुर्घटना में आलिप्त मानकर दौराने अनुसंधान जब्त किए जाने का तथ्य दर्शित होता है।

24. इसके अतिरिक्त नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श–3 के अवलोकन से भी प्रश्नगत दुर्घटना विपक्षी संख्या–1 द्वारा अपनी कार संख्या आर.जे.–14–सी.एन.–3231 को तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए याचिकाकर्तागण जो कि मार्क ''ए'' सर्किल के पास खड़े थे, के टक्कर मारकर प्रश्नगत दुर्घटना कारित किए जाने का तथ्य दर्शित होता है। याचिकाकर्ता मनोज कुमार के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–112, याचिकाकर्ता कन्हैयालाल के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–110, डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श–111 के अनुसार याचिकाकर्तागण के प्रश्नगत दुर्घटना में चोटें आने का तथ्य दर्शित होता है।

25. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार याचिकाकर्तागण की ओर से जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसका कोई खण्डन विपक्षीगण की ओर से नहीं किया जा सका है। याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वाहन चालक विपक्षी संख्या–1 ने कार संख्या आरजे–14–सीएन–3231 को उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए याचिकाकर्तागण मनोज व कन्हैयालाल के टक्कर मारी, जिसके कारण उनके गंभीर चोटें कारित हुई। वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या–1, विपक्षी

संख्या–2 के नियोजन में होकर उसके हितार्थ व लाभार्थ वाहन का परिचालन कर रहा था। इसलिये याचिकाकर्तागण विवाद्यक संख्या–1 व 2 को अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रहे है। अतः विवाधक संख्या–1 व 2 बहक याचिकाकर्तागण, विरूद्ध विपक्षीगण निर्णित किये जाते है।

<u>विवाद्याक संख्या–3 :–</u>

26. विवाद्यक संख्या–3 निम्न प्रकार से विरचित किया गया है किः–

''आया विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्तियों एवं विशेष विवरण में अंकित आपत्तियों का क्या प्रभाव है?''

27. इस विवाद्यक को साबित करने का भार विपक्षी संख्या–3 पर था। इस सम्बन्ध में दौराने बहस अधिवक्ता विपक्षी संख्या–3 का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि याचिकाकार्तागण ने दुर्घटना के 05 दिन बाद मिलीभगत करके गलत तथ्य अंकित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वक्त दुर्घटना वाहन कार संख्या आरजे–21–सीएन–3231 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी नहीं लाईसेन्स नहीं था। इस कारण बीमा कम्पनी का कोई दायित्व क्षतिपूर्ति अदायगी का नहीं रहता है। इसलिए याचिकाकर्तागण की याचिकाएं खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

28. उक्त तर्कों के संदर्भ में यदि पत्रावली का अवलोकन करे तो याचिकाकर्ता ए. ड.–2 मनोज कुमार व कन्हैयालाल क्रमशः अपने चोट प्रतिवेदन प्रदर्श– 112 व प्रदर्श–110 को प्रदर्शित करवाया है, जिसके अनुसार उक्त दोनों के दिनांक 05–01–2017 को चोटें कारित होने का तथ्य दर्शित होता है। इसके साथ पत्रावली उपलब्ध दोनों के डिस्चार्ज टिकिट से दिनांक 07–01–2017 से दिनांक 12–01–2017 तक एसएमएस अस्पताल, जयपुर में ईलाजरत रहकर ऑपरेशन करवाए जाने का तथ्य दर्शित होता है। इस प्रकार याचिकाकर्तागण ने दुर्घटना की रिपोर्ट विलम्ब से कराने के सम्बन्ध में अपना ईलाज में व्यस्त होना बताया है।

29. याचिकाकर्तागण की उक्त साक्ष्य के संदर्भ में यदि दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो याचिकाकर्तागण की ओर से तहरीरी रिपोर्ट को प्रदर्श–1 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है। रिपोर्ट प्रदर्श–1 में दुर्घटना दिनांक 05–01–2017 की घटित होना वर्णित किया गया है एवं उक्त रिपोर्ट दिनांक

10–01–2017 को अर्थात घटना के 05 दिवस पश्चात् पुलिस थाना नावां पर प्रस्तुत किए जाने का तथ्य दर्शित होता है। इस कारण याचिकाकर्तागण के ईलाज में व्यस्त रहने के कारण रिपोर्ट दर्ज कराने में जो पांच दिवस का विलम्ब हुआ है, वह युक्तियुक्त व संतोषप्रद प्रतीत होता है। इसलिए विपक्षी संख्या–3 की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

30. **जहां तक वक्त दुर्घटना वाहन कार संख्या आरजे–21–सीएन–3231 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी नहीं लाईसेन्स का प्रश्न है,** इस संदर्भ में यदि पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो पत्रावली पर याचिकार्तागण एवं विपक्षीगण द्वारा चालक राजेन्द्र का ड्राईविंग लाईसेंस पत्रावली पर पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाये जाने का तथ्य दर्शित होता है। इस कारण चालक राजेन्द्र कुमार का ड्राईविंग लाईसेंस पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से यही उपधारणा ली जायेगी कि वक्त दुर्घटना राजेन्द्र कुमार के पास वैध एवं प्रभावी अनुज्ञापत्र नहीं था। इस प्रकार मृतक चालक राजेन्द्र कुमार के पास वैध एवं प्रभावी अनुज्ञा–पत्र नहीं होने के कारण बीमा शर्तों का उल्लंघन होने का तथ्य भी प्रमाणित होता है।

31. इस प्रकार विपक्षी संख्या–3 की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से वक्त दुर्घटना मृतक राजेन्द्र के पास प्रश्नगत वाहन को चलाने हेतु वैध अनुज्ञा–पत्र नहीं होने का तथ्य प्रमाणित होता है। विपक्षी संख्या–2 की ओर से इस सम्बन्ध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि विपक्षी संख्या–1 को वाहन चालक राजेन्द्र कुमार के पास वैध एवं प्रभावी अनुज्ञा–पत्र नहीं होने की जानकारी थी एवं उसके बावजूद भी विपक्षी संख्या–1 ने अपने वाहन कार नं. आर.जे–14–सी.एन.–3231 को चलाने के लिये राजेन्द्र कुमार को अधिकृत किया हो। क्षतिपूर्ति अदायगी के दायित्व के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **National Insurance Co. Ltd. V/s Swaran Singh (2004 91) TAC 321 (SC) (LB)** में यह विधि प्रतिपादित की गयी है किः–

> "(iii) The breach of policy condition e.g., disqualification of driver or invalid driving

licence of the driver, as contained in sub-section (2)(a)(ii) of section 149, have to be proved to have been committed by the insured for avoiding liability by the insurer. Mere absence, fake or invalid driving licence or disqualification of the driver for driving at the relevant time, are not in themselves defences available to the insurer against either the insured or the third parties. To avoid its liability towards insured, the insurer has to prove that the insured was guilty of negligence and failed to exercise reasonable care in the matter of fulfilling the condition of the policy regarding use of vehicles by duly licensed driver or one who was not disqualified to drive at the relevant time."

32.इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने एक निर्णय **सिविल अपील संख्या 20962/17 पप्पू व अन्य बनाम विनोद कुमार लाम्बा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10–01–2018** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

"the Insurance Company liable to discharge his liability arising from rash and negligent driving by the driver of his vehicle. The Insurance Company can be fastened with the liability on the basis of a valid insurance policy only after the basic facts are pleaded and established by the owner of the offending vehicle - that the vehicle was not only duly insured but also that it was driven by an authorised person having a valid driving licence. Without disclosing the name of the driver in the Written Statement or producing any evidence to substantiate the fact that the copy of the driving licence produced in support was of a

person who, in fact, was authorised to drive the offending vehicle at the relevant time, the owner of the vehicle cannot be said to have extricated himself from his liability. The Insurance Company would become liable only after such foundational facts are pleaded and proved by the owner of the offending vehicle."

"The next question is: whether in the fact situation of this case the insurance company can be and ought to be directed to pay the claim amount, with liberty to recover the same from the owner of the vehicle (respondent No.1)? This issue has been answered in the case of National Insurance Company Ltd. (supra). In that case, it was contended by the insurance company that once the defence taken by the insurer is accepted by the Tribunal, it is bound to discharge the insurer and fix the liability only on the owner and/or the driver of the vehicle. However, this Court held that even if the insurer succeeds in establishing its defence, the Tribunal or the Court can direct the insurance company to pay the award amount to the claimant(s) and, in turn, recover the same from the owner of the vehicle. The three-Judge Bench, after analysing the earlier decisions on the point, held that there was no reason to deviate from the said well-settled principle. In paragraph 107 the Court then observed thus:"

"We may, however, hasten to add that the Tribunal and the court must, however, exercise their

jurisdiction to issue such a direction upon consideration of the facts and circumstances of each case and in the event such a direction has been issued, despite arriving at a finding of fact to the effect that the insurer has been able to establish that the insured has committed a breach of contract of insurance as envisaged under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (2) of Section 149 of the Act, the insurance company shall be entitled to realize the awarded amount from the owner or driver of the vehicle, as the case may be, in execution of the same award having regard to the provisions of Sections 165 and 168 of the Act. However, in the event, having regard to the limited scope of inquiry in the proceedings before the Tribunal it has not been able to do so, the insurance company may initiate a separate action therefor against the owner or the driver of the vehicle or both, as the case may be. Those exceptional cases may arise when the evidence becomes available to or comes to the notice of the insurer at a subsequent stage or for one reason or the other, the insurer was not given an opportunity to defend at all. Such a course of action may also be resorted to when a fraud or collusion between the victim and the owner of the vehicle is detected or comes to the knowledge of the insurer at a later stage."

Further, in paragraph No.110, the Court observed thus: 110. The summary of our findings to the various issues as raised in these

petitions are as follows:

(i) Chapter XI of the Motor Vehicles Act, 1988 providing compulsory insurance of vehicles against third party risks is a social welfare legislation to extend relief by compensation to victims of accidents caused by use of motor vehicles. The provisions of compulsory insurance coverage of all vehicles are with this paramount object and the provisions of the Act have to be so interpreted as to effectuate the said object.

(ii) Insurer is entitled to raise a defence in a claim petition filed under Section 163A or Section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988 inter alia in terms of Section 149(2)(a) (ii) of the said Act.

(iii) The breach of policy condition, e.g. disqualification of driver or invalid driving licence of the driver, as contained in Sub-section (2)(a)(ii) of Section 149, have to be proved to have been committed by the insured for avoiding liability by the insurer. Mere absence, fake or invalid driving licence or disqualification of the driver for driving at the relevant time, are not in themselves defences.

available to the insurer against either the insured or the third parties. To avoid its liability towards insured, the insurer has to prove that the insured was guilty of negligence and failed to exercise reasonable care in the matter of fulfilling the condition of the policy regarding use of vehicles by duly licensed driver or one who was not disqualified to drive at the relevant

time,

(iv) The insurance companies are, however, with a view to avoid their liability must not only establish the available defence(s) raised in the said proceedings but must also establish 'breach' on the part of the owner of the vehicle; the burden of proof where for would be on them.

(v) The court cannot lay down any criteria as to how said burden would be discharged, inasmuch as the same would depend upon the facts and circumstance of each case.

(vi) Even where the insurer is able to prove breach on the part of the insured concerning the policy condition regarding holding of a valid licence by the driver or his qualification to drive during the relevant period, the insurer would not be allowed to avoid its liability towards insured unless the said breach or breaches on the condition of driving licence is/ are so fundamental as are found to have contributed to the cause of the accident. The Tribunals in interpreting the policy conditions would apply "the rule of main purpose" and the concept of "fundamental breach" to allow defences available to the insured under Section 149(2) of the Act.

(vii) The question as to whether the owner has taken reasonable care to find out as to whether the driving licence produced by the driver, (a fake one or otherwise), does not fulfil the requirements of law or not will have to be determined in each case.

(viii) xxx

(ix) xxx

(x) Where on adjudication of the claim under the Act the tribunal arrives at a conclusion that the insurer has satisfactorily proved its defence in accordance with the provisions of Section 149(2) read with Sub-section (7), as interpreted by this Court above, the Tribunal can direct that the insurer is liable to be reimbursed by the insured for the compensation and other amounts which it has been compelled to pay to the third party under the award of the tribunal Such determination of claim by the Tribunal will be enforceable and the money found due to the insurer from the insured will be recoverable on a certificate issued by the tribunal to the Collector in the same manner under Section 174 of the Act as arrears of land revenue. The certificate will be issued for the recovery as arrears of land revenue only if, as required by Sub-section (3) of Section 168 of the Act the insured fails to deposit the amount awarded in favour of the insurer within thirty days from the date of announcement of the award by the tribunal.

(xi) The provisions contained in Sub-section (4) with proviso thereunder and Sub-section (5) which are intended to cover specified contingencies mentioned therein to enable the insurer to recover amount paid under the contract of insurance on behalf of the insured can be taken recourse of by the Tribunal and be extended to claims and defences of insurer against insured by,

> relegating them to the remedy before, regular court in cases where on given facts and circumstances adjudication of their claims inter se might delay the adjudication of the claims of the victims."(emphasis supplied)

33.इसी प्रकार सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त **2008 आर.ए.आर. 157(सुप्रीम कोर्ट) नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम गीता भट्ट व अन्य के** मामलें में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बीमा कम्पनी के दायित्व के सम्बन्ध में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः–

> ''अप्रमाणित चालन अनुज्ञा–मालिक का कर्तव्य–तृतीय पक्षकार जोखिम–दुर्घटना लिप्त वाहन चालक का चालन अनुज्ञा पत्र अप्रमाणित पाया गया–यह वाहन मालिक इस युक्तियुक्त जॉच के लिये कर्तव्य से आबद्ध है कि व्यक्ति जो वाहन चलाने हेतु अधिकृत है, अनुज्ञा रखता है अथवा नहीं–बीमा कम्पनी को दायित्व से उन्मुक्त नहीं किया जा सकता–दावेदार को प्रतिकर अदा करने एवं मालिक से वसूली करने की स्वतंत्रता का निर्देश दिया गया।''

34.इसी क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **2014(1) डी.एन.जे.(राज0) पेज 8 नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी बनाम मनोहरीदेवी** में पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में भी बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने व प्रतिकर राशि को मालिक व चालक से वसूल करने की विधि प्रतिपादित की गयी है।

35.इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुरूप हालांकि वक्त दुर्घटना चालक राजेन्द्र के पास वैध अनुज्ञा–पत्र होने के तथ्य को विपक्षी संख्या–1 द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका है, किन्तु उक्त तथ्य की जानकारी विपक्षी संख्या–1 को होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य व अभिलेख पत्रावली पर नहीं होने के कारण एवं

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णयों में प्रतिपादित की गई विधि के परिप्रेक्ष्य में बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी के दायित्व से उन्मुक्त नहीं होती है, अपितु क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के पश्चात् उक्त राशि की वसूली चालक/मालिक से करने के लिये स्वतंत्र है। अतः विवाद्यक संख्या–3 उपरोक्त विवेचनानुसार विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–4

36.अधिकरण द्वारा विवाद्यक संख्या–4 निम्न प्रकार से विरचित किया गया है किः–

> **''याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता मनोज कुमार विपक्षीगण से क्षतिपूति राशि 82,,56,000/–रूपये, याचिकाकर्ता कन्हैयालाल विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति राशि 87,76,000/–रूपये मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है?''**

37.इस अधिनिर्णय के माध्यम से एम.ए.सी. प्रकरण संख्या **30/2022 व 171/2022** का निस्तारण किया जा रहा है। विवाद्यक संख्या–4 पर पृथक–पृथक विवेचन निम्न प्रकार से हैः–

एम.ए.सी.प्र.सं. 30/2022 (101/2017) मनोज कुमार बनाम राजेन्द्र कुमार व अन्य

38.इस विवाद्यक के सम्बन्ध में ए.ड.–2 मनोज कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि प्रश्नगत दुर्घटना में उसके शरीर पर गम्भीर चोटें कारित हुई। उसका ऑपरेशन किया गया था। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान चोट प्रतिवेदन को प्रदर्श 112 को प्रदर्शित कराया है।

39.गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि उसने स्थाई निर्योग्यता प्रमाण–पत्र पेश नहीं किया है। दुर्घटना के समय उसके घुटने पर चोट आई थी। वक्त दुर्घटना उसकी उम्र 26–27 वर्ष थी। गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि उसने अपनी आय व आयु के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि उसने दवाईयॉ के बिलों के समर्थन में चिकित्सक की पर्ची पेश नहीं की है।

40.यहॉ यह उल्लेखनीय है कि उक्त याचिकाकर्ता के ईलाज से सम्बंधित बिल एवं पर्चियों को गवाह ए.ड.–1 छोटूलाल द्वारा प्रदर्श–10 लगायत–22 एवं

प्रदर्श–27, 28 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है।

41. मोटर दुर्घटना याचिका में क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित करने के लिए याचिकाकर्ता की आय एवं आयु निर्धारित करना आवश्यक होता है। इस सम्बन्ध में याचिकाकर्ता मनोज कुमार ने याचिका में अपनी आयु 24 वर्ष दुर्घटना के समय होना अभिकथित की है। यदि इस सम्बन्ध में याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–112 का अवलोकन किया जाए तो उसमें याचिकाकर्ता की आयु 26 वर्ष अंकित है, जिसके खण्डन में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए दस्तावेज प्रदर्श–112 के अनुरूप वक्त दुर्घटना याचिकाकर्ता मनोज कुमार की आयु **26** वर्ष होना अभिनिर्धारित किया जाता है।

42. जहॉ तक याचिकाकर्ता को आय की क्षति कारित होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में याचिकाकर्ता की ओर से अपनी साक्ष्य के दौरान अपने शरीर में किसी प्रकार की स्थाई निर्योग्यता कारित होने के सम्बन्ध में कोई निर्योग्यता प्रमाण–पत्र पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया गया है। इस कारण प्रश्नगत दुर्घटना के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को कोई स्थाई निर्योग्यता कारित होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। याचिकाकर्ता की ओर से अपनी साक्ष्य के दौरान अपने चोट प्रतिवेदन को बतौर प्रदर्श–112 प्रदर्शित कराया गया है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता के शरीर पर कुल 03 चोटें, जिनमें से दो साधारण प्रकृति की एवं एक चोट गम्भीर प्रकृति की कारित होने का तथ्य दर्शित होता है। इस कारण याचिकाकर्ता रालसा द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अपने शरीर पर कारित दो साधारण चोटों के लिये क्षतिपूर्ति के रूप में (3500X2) **7,500/–रूपये** की राशि एवं एक गम्भीर चोट के लिये क्षतिपूर्ति के रूप में (25000X1) **25,000/–रूपये** की राशि, इस प्रकार **कुल 32,500/–रूपये** बतौर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

43. याचिकाकर्ता मनोज कुमार की ओर से उक्त दुर्घटना में कारित हुई उपहतियों के संबंध में स्वंय का ईलाज कराया गया है और इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से रोगी पर्ची एवं मेडिकल बिलों को प्रदर्श–10 लगायत प्रदर्श–22 व प्रदर्श–27 व प्रदर्श–28 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है, जिनकी कुल राशि **14,551/– रूपये** होती है। यह व्यय याचिकाकर्ता को उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप आई चोटों के ईलाज में करना पड़ा है और इस तथ्य

को याचिकाकर्ता ने चिकित्सीय दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाकर प्रमाणित किया है। ऐसे तथ्यों एवं साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता को ईलाज व्यय के मद उक्त **14,551/–रूपये** की राशि विपक्षीगण से प्रदत्त करवाया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित है।

44. याचिकाकर्ता मनोज कुमार उक्त दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूपः ईलाज हेतु भिन्न–भिन्न स्थानों पर समय समय पर गया है। अतः परिवहन के मद में याचिकाकर्ता को विपक्षीगण से **5000/–**रूपये प्रतिकर राशि प्रदत्त करवाया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित है।

45. याचिकाकर्ता मनोज कुमार को उक्त दुर्घटना में शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा व वेदना भी सहन करना पड़ा है ऐसी स्थिति में इस मद में याचिकाकर्ता को विपक्षीगण से **5000/–**रूपये प्रतिकर की राशि प्रदत्त करवाया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित है।

46. याचिकाकर्ता मनोज कुमार को उक्त दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूपः उसके द्वारा निश्चित रूप से विशेष खुराक भी ली गई है। अतः विशेष खुराक के मद में याचिकाकर्ता को विपक्षीगण से **2000/–**रूपये की प्रतिकर राशि दिलवाया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित है। अन्य किसी मद में कोई सुदृढ साक्ष्य याचिकाकर्ता की नहीं होने से याचिकाकर्ता अन्य कोई प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

47. अतः उपरोक्त विवेचन अनुरूप याचिकाकर्ता मनोज कुमार को विपक्षीगण से प्रतिकर के रूपये कुल **59051/–रूपये (अक्षरे उनसठ हजार इक्यावन रूपये मात्र)** दिलवाया जाना विधिसम्मत व न्यायोचित है।

<u>**एम.ए.सी.प्र.सं. 171/2022 (104/2017) कन्हैयालाल बनाम राजेन्द्र कुमार व अन्य**</u>

48. इस विवाद्यक के सम्बन्ध में ए.ड.–1 छोटूलाल, जो कि याचिकाकर्ता कन्हैयालाल का पिता है, ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह कथन किया है कि दिनांक 10–8–2020 को उसके पुत्र कन्हैयालाल की मृत्यु हो गई है। उसके पुत्र के ईलाज में करीब 05 लाख रूपये खर्च हुए थे। दुर्घटना के उपरान्त उसका पुत्र शारीरिक रूप से अयोग्य हो गया था। उक्त गवाह ने

अपने मुख्य परीक्षण के दौरान अपने पुत्र के ईलाज से सम्बंधित बिल, डिस्चार्ज टिकिट, पर्चियां प्रदर्श–10 लगायत 22 व प्रदर्श 27 से प्रदर्श–109, कन्हैयालाल की इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श–110 एवं एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श–111 दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया है।

49. गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि वह मृतक कन्हैयालाल का विधिक वारिस होकर पिता है। उसके पुत्र की मृत्यु वर्ष, 2020 में हुई थी। वह अपने पुत्र कन्हैयालाल की मृत्यु का कारण नहीं बता सकता है। गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि कन्हैयालाल की मृत्यु के समय दुर्घटना के सम्बन्ध में ईलाज नहीं चल रहा था। उसने अपने पुत्र कन्हैयालाल का पोस्टमोर्टम नहीं करवाया था। गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि पत्रावली पर वर्ष, 2018 का कोई भी मेडिकल बिल व ईलाज के कागजात नहीं पेश नहीं किए है। गवाह ने दौराने जिरह स्वीकार किया कि प्रदर्श–110 व प्रदर्श–111 में एक ही पैर की एक ही चोट अंकित की गई है।

50. इस प्रकार उक्त गवाह के द्वारा जिरह के दौरान जो कथन किए गए है, उनसे यह दर्शित होता है कि कन्हैयालाल की मृत्यु उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण नहीं होकर अन्य किसी बीमारी से हुई थी। उक्त संदर्भ में यदि याचिकाकर्ता की ओर से प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श–41 का अवलोकन करे तो यह दस्तावेज ऑल इण्डिया इंस्टिटयूट ऑफ मेडिकल साईंस जोधपुर द्वारा जारी लामा कार्ड है, जो दिनांक 12–02–2019 को तैयार किया गया है। उक्त कार्ड में डॉ0 महेन्द्र कुमार द्वारा कन्हैयालाल के TB Meningits रोग से पीड़ित होकर अस्पताल की अनुमति के बिना अस्पताल छोड़ने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार उक्त चिकित्सीय दस्तावेज से भी कन्हैयालाल की मृत्यु उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण नहीं होकर टी.बी. से ग्रसित होने के कारण होने का तथ्य दर्शित होता है।

51. मोटर दुर्घटना याचिका में क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित करने के लिए याचिकाकर्ता की आय एवं आयु निर्धारित करना आवश्यक होता है। याचिकाकर्ता ने याचिका में अपनी आयु 19 वर्ष दुर्घटना के समय होना अभिकथित किया है, जबकिु याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–110 में याचिकाकर्ता की आयु 17 वर्ष अंकित है। हालांकि पत्रावली पर आहत

कन्हैयालाल की आयु के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसलिये याचिकाकर्तागण के कथनानुसार वक्त दुर्घटना याचिकाकर्ता कन्हैयालाल की आयु **19** वर्ष होने का तथ्य प्रमाणित होता है।

52. जहॉ तक याचिकाकर्ता को आय की क्षति कारित होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में याचिकाकर्ता की ओर से अपनी साक्ष्य के दौरान अपने शरीर में किसी प्रकार की स्थाई निर्योग्यता कारित होने के सम्बन्ध में कोई निर्योग्यता प्रमाण–पत्र पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया गया है। इस कारण प्रश्नगत दुर्घटना के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को कोई स्थाई निर्योग्यता कारित होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। याचिकाकर्ता की ओर से साक्ष्य के दौरान अपने चोट प्रतिवेदन को बतौर प्रदर्श–110 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–110 के अनुसार आहत कन्हैयालाल के एक चोट कारित होने का तथ्य दर्शित होता है। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से अपने शरीर पर कारित चोट की प्रकृति के सम्बन्ध में कोई एक्स–रे रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया गया है, किन्तु पत्रावली पर कन्हैयालाल का डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श–40 उपलब्ध है, जिसके अनुसार आहत कन्हैयालाल का दिनांक 05–01–2017 से दिनांक 12–01–2017 तक अस्पताल में भर्ती रहने एवं दिनांक 09–01–2017 को उसका ऑपरेशन होने का तथ्य दर्शित होता है। इस कारण आहत कन्हैयालाल के कारित चोट संख्या–1 गम्भीर प्रकृति की होने का तथ्य प्रमाणित होता है। इस कारण याचिकाकर्ता रालसा द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अपने शरीर पर कारित एक गम्भीर चोट के लिये क्षतिपूर्ति के रूप में (25000X1) कुल **25,000/–रूपये** की राशि बतौर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

53. याचिकाकर्ता कन्हैयालाल के डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श–40 के अनुसार कन्हैयालाल दिनांक 05–01–2017 से दिनांक 12–01–2017 तक सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में भर्ती रहकर ईलाजरत रहा है। इसलिये याचिकाकर्ता अस्पताल में 08 दिवस तक भर्ती रहने के मद में क्षतिपूर्ति के रूप में रालसा के दिशा–निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में (600X8) कुल **4800/–रूपये** की राशि बतौर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

54. याचिकाकर्ता कन्हैयालाल की ओर से उक्त दुर्घटना में कारित हुई उपहति के संबंध में स्वंय का ईलाज कराया है और इस संबंध में रोगी पर्ची एवं मेडिकल बिल प्रदर्श–28 लगायत प्रदर्श–38 को प्रस्तुत किया है। उक्त समस्त बिलों की कुल राशि 49,101/– रूपये होती है। यह व्यय याचिकाकर्ता को उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप आयी चोटों के ईलाज में करना पड़ा है और इस तथ्य को याचिकाकर्ता ने अपने चिकित्सीय दस्तावेजात को प्रस्तुत कर प्रमाणित किया है। ऐसे तथ्यों एवं साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता ईलाज व्यय के मद उक्त **49101/–रूपये** की राशि विपक्षीगण से प्रदत्त करवाया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित है।

55. याचिकाकर्ता कन्हैयालाल उक्त दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूपः ईलाज हेतु भिन्न–भिन्न स्थानों पर समय समय पर गया है। अतः परिवहन के मद में याचिकाकर्ता को विपक्षीगण से **5000/–**रूपये प्रतिकर राशि प्रदत्त करवाया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित है।

56. याचिकाकर्ता कन्हैयालाल को उक्त दुर्घटना में शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा व वेदना भी सहन करना पड़ा है ऐसी स्थिति में इस मद में याचिकाकर्ता को विपक्षीगण से **5000/–**रूपये प्रतिकर की राशि प्रदत्त करवाया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित है।

57. याचिकाकर्ता कन्हैयालाल को उक्त दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूपः उसके द्वारा निश्चित रूप से विशेष खुराक भी ली गई है। अतः विशेष खुराक के मद में याचिकाकर्ता को विपक्षीगण से **2000/–**रूपये की प्रतिकर राशि दिलवाया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित है। अन्य किसी मद में कोई सुदृढ साक्ष्य याचिकाकर्ता की नहीं होने से याचिकाकर्ता अन्य कोई प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

58. अतः उपरोक्त विवेचन अनुरूप याचिकाकर्ता कन्हैयालाल को विपक्षीगण से प्रतिकर के रूपये कुल **90,901/–रूपये (अक्षरे नब्बे हजार नौ सौ एक रूपये मात्र)** दिलवाया जाना विधिसम्मत व न्यायोचित है।

59. प्रश्नगत दुर्घटना विपक्षी सं. 1 चालक द्वारा विपक्षी संख्या–2 वाहन स्वामी के नियोजन में कार्य करने के दौरान कारित हुई है तथा आरोपित वाहन की बीमा कंपनी विपक्षी संख्या–3 है। इसलिए याचिकाकर्तागण मनोज कुमार एवं मृतक

कन्हैयालाल के वारिसान को उपरोक्त वर्णितानुसार प्रतिकर राशि विपक्षीगण से संयुक्त रूप से एवं पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी है।

अनुतोषः

60\. याचिकाकर्तागण ने उक्त क्षतिपूर्ति राशि को 12 प्रतिशत ब्याज की दर से दिलाये जाने का निवेदन किया है, लेकिन 12 प्रतिशत ब्याज की दर अत्यधिक है। इस संबंध में **पुट्टमा बनाम के.एल.नारायण रेड्डी A.I.R. 2014 (S.C.) 165 धर्मपाल व अन्य बनाम यू.पी.स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कोरपोरेशन A.I.R. 2008 (S.C.) 2312** में राष्ट्रीयकृत बैंक की ब्याज दर के अनुसार ही ब्याज दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार इस अधिकरण के विन्रम मत में याचिका संख्या **30/2022** का याचिकाकर्ता मनोज कुमार विपक्षीगण से संयुक्त रूप से एवं पृथकतः **59051/–रूपये (अक्षरे उनसठ हजार इक्यावन रूपये मात्र) तथा** याचिका संख्या **171/2022** का याचिकाकर्ता कन्हैयालाल के विधिक वारिसान विपक्षीगण से संयुक्त रूप से एवं पृथकतः **90,901/–रूपये (अक्षरे नब्बे हजार नौ सौ एक रूपये मात्र)** याचिकाएं पेश करने की दिनांक **19–07–2017** से भुगतान की दिनांक तक **5.50** प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: पंचाट ::–

61\. परिणामतः याचिकाकर्तागण मनोज कुमार एवं मृतक के कन्हैयालाल के विधिक वारिसान की याचिकाएं आंशिक रूप से विपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से स्वीकार की जाकर यह अंतिम पंचाट इस प्रकार से पारित किया जाता है कि याचिका संख्या **30/2022(101/2017)** याचिकाकर्ता मनोज कुमार विपक्षीगण से संयुक्त रूप से एवं पृथकतः **59051/–रूपये (अक्षरे उनसठ हजार इक्यावन रूपये मात्र) तथा** याचिका संख्या **171/2022(104/2017)** का याचिकाकर्ता कन्हैयालाल के विधिक वारिसान विपक्षीगण से संयुक्त रूप से एवं पृथकतः **90,901/–रूपये (अक्षरे नब्बे हजार नौ सौ एक रूपये मात्र)** याचिकाएं पेश करने की दिनांक **19–07–2017** से भुगतान की दिनांक तक **5.50** प्रतिशत साधारण ब्याज सहित प्रतिकर स्वरूपः प्राप्त करने के अधिकारी है।

62\. याचिकाकर्तागण को यदि धारा 140 मोटर वाहन अधिनियम के तहत अंतरिम

प्रतिकर के रूप में राशि का भुगतान किया गया है तो उक्त राशि अंतिम पंचाट की राशि में समायोजित होगी।

63. बीमा कवर नोट प्रदर्श—09 के अनुसार वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन कार संख्या आरजे—14—सीएन—3231 विपक्षी संख्या—3 के यहॉ बीमित थी, तथा विवाधक संख्या—3 के निर्णय के दौरान प्रश्नगत वाहन को विपक्षी संख्या—1 द्वारा वैध चालन अनुज्ञप्ति के बिना संचालन किये जाने का तथ्य प्रमाणित हुआ है एवं प्रतिकर राशि की अदायगी हेतु विपक्षी संख्या—3 को उत्तरदायी ठहराया गया है, किन्तु उक्त राशि को विपक्षी संख्या—3 बीमा कम्पनी को प्रश्नगत बस के चालक/मालिक विपक्षी संख्या—1 व 2 से वसूल किये जाने हेतु स्वतंत्र किया गया है। इसलिये विपक्षी संख्या— 3 को यह आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त याचिका की प्रतिकर राशि व ब्याज की राशि इस पंचाट की तिथि से एक माह की अवधि में निम्नानुसार याचिकाकर्तागण के खाते में अदा करेः—

याचिका संख्या	याचिकाकर्ता का नाम	बैंक का नाम एवं खाता संख्या	IFSC Code	राशि प्रतिशत/रूपये में
30/2022	मनोज कुमार	SBI-30879150157	SBIN0011400	100%
171/2022	छोटूलाल			50%
171/2022	श्रीमती राधादेवी			50%

64. याचिकाकर्ता छोटूलाल एवं श्रीमती राधादेवी द्वारा अपने खातों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि याचिकाकर्तागण सात दिवस के भीतर अपने बैंक खाते का विवरण इस न्यायालय/सम्बंधित बीमा कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है तो सम्बंधित बीमा कम्पनी उपरोक्त वर्णितानुसार क्षतिपूर्ति राशि उनके बैंक खाते में जमा करावे। यदि याचिकाकर्ता द्वारा इस निर्णय की दिनांक से सात दिवस के भीतर अपने बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत नहीं करते है तो याचिकाकर्तागण को निर्णय की तिथि के पश्चात् का ब्याज देय नहीं होगा।

65. बैंक में उक्त राशियॉ जमा होने के पश्चात् न्यायालय द्वारा जमा राशियों के नकद भुगतान/सावधि जमा योजना के तहत जमा किए जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किए जाने के पश्चात् ही याचिकाकर्तागण न्यायालय के आदेशानुसार राशि प्राप्त करेंगे। इस न्यायालय के आदेश के बिना सम्बंधित

बैंक, याचिकाकर्तागण को किसी भी राशि का भुगतान नहीं करेगा। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(सुन्दर लाल खारोल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)

39. अधिनिर्णय आज दिनांक 08–04–2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(सुन्दर लाल खारोल)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)